न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :– 134/2019 निर्णय दिनांक 4-7-19

उनवान

1. रामकरण पिता जगदीश नारायण
2. रामलाल पिता जगदीश नारायण
3. कमलेश पिता जगदीश नारायण
4. रूकमा देवी पत्नि श्री जगदीश नारायण
5. श्योजीराम पिता रामप्रसाद
6. रामअवतार पिता रामप्रसाद
7. राधाकिशन पिता भौरिया

समस्त जाति यादव निवासी ग्रम सांभरिया तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता श्रीराम यादव

जाति यादव निवासी ग्राम बल्लूपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र त/धा 128 राज0ल0[illegible] वास्ते पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:53:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ग्रम बल्लूपुरा तहसील चाकसू के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 129 रकबा 3.78 है0 खसरा नम्बर 140 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 368 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.27 है0 वाके भूमि वाके ग्राम बल्लूपुरा में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थया ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए बताया कि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 01.05..2019 को कराया जा चुका है। प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

वकील प्रार्थीया की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया की भूमि पत्थर गढी करवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा जिसके आराजी खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 129 रकबा 3.78 है0 खसरा नम्बर 140 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.06 है0 खसरा नम्बर 368 रकबा 0.27 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.27 है0 वाके भूमि वाके ग्राम बल्लूपुरा की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:53:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू